प्रेस नोट **16/09/2022**

नाजायज गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कुंडा पेट्रोल पंप के पास से शिवसरन पुत्र रामशब्द निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 394/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सलाहाबाद मोड़ से मु0अ0सं0 330/22 धारा 454,380,411 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त शेरु उर्फ पंकज वर्मा व राहुल वर्मा पुत्रगण स्व0 विक्रम प्रसाद निवासीगण सुराही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से चोरी के 3200 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 413,414 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ थाना रानीपुर पुलिस द्वारा तेंदुली चट्टी के पास से मु0अ0सं0 177/22 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान पुत्र विरेन्द्र निवासी खानपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 18 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 16.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा सुनील कुमार निवासी रामपुर चकिया व सुशील कुमार निवासी सलेमपुर थाना दक्षिणटोला, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मारकण्डेय राय व उत्सव राय निवासी लाडनपुर थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वजीर आलम निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा नंदकुमार व संजय निवासी रामपुर विशुनपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रामआसरे निवासी सुरहुरपुर, हरिश्चन्द्र, रामप्रसाद निवासी भातकोल, शिववचन यादव निवासी क्यामपुर व वारंटी अभियुक्त गंगा चौहान पुत्र चन्द्रबली निवासी भोपतपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा जितेन्द्र निवासी ताजोपुर, गुलाब, प्रियांशू, भूराराम व छोटेलाल निवासी खानपुर थाना सरायलखंसी व थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा अनूप कुमार निवासी सरसेना थाना चिरैयाकोट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।